

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रतिष्ठापित से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 105] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 1981/फाल्गुन 22, 1902  
No. 105] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1981/PHALGUNA 22, 1902

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

अन मंत्रालय

अभिज्ञान

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1981

का. अ. 184(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अभिनियम, 1948 (1948 का 34)  
की धारा 1 की उप-भाषा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय  
सरकार एतद्वारा 15 मार्च, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है,  
जिसको उक्त अभिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले  
ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और

धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवया जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिसा कटक,  
तहसील वर्पण में  
राजस्व ग्राम वर्पण,  
सासनसिमा और  
सासन पुरुषोत्तमपुर के क्षेत्र ।”

[संख्या एस. 38013/8/81-एच. आई.]

एन. बी. चावला, उप-सचिव

# MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1981

**S.O. 184(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 15th March, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa, namely :—

“Areas of revenue villages of Darpan, Sasansima and Sasan Purusottampur in Tehsil Darpan District Cuttack.”

[No. S-38013/8/81-HI]

N. B. CHAWLA, Dy Secy.